सीसीटीएनएस/ई मेल

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014–3 दिनांकःलखनऊःअप्रैल 30, 2019

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में जो विवरण केस डायरी के मुख्य कार्य प्रदर्शन में अंकित किये गये हेड का चयन करने के उपरान्त ही उनके सम्मुख अंकित की गयी कार्यवाही को सम्पादित किया जाने हेतु दिशा–निर्देश विषयक।

कृपया विषयांकित प्रकरण में सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) में **जो विवरण केस डायरी के मुख्य कार्य प्रदर्शन में अंकित किये गये हेड का चयन करने के उपरान्त ही उनके सम्मुख अंकित की गयी कार्यवाही को सम्पादित किया जाना होगा इस कार्यवाही को जनपदों द्वारा सही हेड का चयन करके नहीं भरा जाता है जिससे सही हेड में सूचना अपूर्ण प्रदर्शित होगी तथा सही हेड में सूचना शून्य प्रदर्शित हो रही है जबकि सूचना वास्तविक रूप से गलत हेड में अंकित की जा रही है।** सही हेड व अंकित की जाने वाली सूचना हेतु विवरण संलग्नक–1 पर अवस्थित है।

2. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा क्राइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) एवं पूर्व उत्तरदायी अधिकारी की इस कार्यवाही व प्रकिया में पूर्ण सूचना अंकित कराये जाने तथा नियमित पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें।

3. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश इस निर्देश के साथ कि जनपद के समस्त थानों के कम्प्यूटर आपरेटर एवं सीसीटीएनएस भिज्ञ पुलिस कार्मियों को अवगत करायें। इस प्रकिया में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो श्री विमर्श द्विवेदी कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए मो0नं0 7007855054 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

30/4

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. श्री विवेक कुमार रावत, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ ।
6. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यू–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
7. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

संलग्नक–1

...स डायरी के मुख्य कार्य प्रदर्शन में हेड का चयन करते समय ध्यान देने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

क्र0सं0	CD इस हेड में होगी	कार्यवाही अपेक्षित
1.	एफआईआर दर्ज	नकल चिक करते समय
2.	अपराध विवरण पत्र	नकल रपट करते समय
3.	अपराध स्थल परीक्षण	निरीक्षण घटनास्थल करते समय
4.	धारा 161 CrPC के अन्तर्गत साक्षी का कथन/ बयान	गवाहों के बयान लिखते समय
5.	धारा 164 CrPC के तहत गवाह के बयान	धारा 164 CrPC के तहत गवाह का बयान लिखते समय
6.	सीडीआर विश्लेषण	सीडीआर विश्लेषण/रिपोर्ट प्राप्त होने पर
7.	अभियुक्त गिरफ्तार	अभियुक्त / संदिग्ध के गिरफ्तार होने पर
8.	पूछताछ हो गयी	अभियुक्त / संदिग्ध से पूछताछ करते समय
9.	पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया	पुलिस रिमाण्ड पर लेते समय
10.	चोरी की संपत्ति बरामद	चोरी की संपत्ति बरामद होने पर
11.	मालखाने में जब्त संपत्ति जमा	मालखाने में संपत्ति जमा करने हेतु
12.	छापा मारा	छापा मारने पर
13.	एमएलआर/ पीएमआर रिपोर्ट प्राप्त	मेडिकल/ पंचायतनामा/ पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर
14.	अन्य	दिये गये सभी हेड में विकल्प मौजूद नहीं होने पर
15.	अधिनियम/ धारा संशोधित	अधिनियम/ धारा संशोधन करते समय
16.	न्यायिक रिमाण्ड के लिये भेजे गये	न्यायिक रिमाण्ड पर भेजने हेतु
17.	जमानत स्वीकार की गयी	जमानत स्वीकृत होने पर
18.	लोक अभियोजक से टिप्पणी प्राप्त की	विधिक राय लेने पर
19.	अंतिम प्रतिवेदन/ आरोप पत्र प्रस्तुत किया	अन्तिम रिपोर्ट/ आरोप पत्र प्रेषित करते समय
20.	मेडिको लीगल राय ली गयी	मेडिको लीगल राय लेने हेतु
21.	अभियुक्त अंगुल छाप एफपीबी भेजे गये	अभियुक्त के फींगर प्रिंट लेकर FPB रिपोर्ट प्रेषित करते समय
22.	गिर0 व्यक्ति के अंगुल छाप एफपीबी भेजे गये	गिरफ्तार व्यक्ति का अंगुल छाप एफपीबी भेजे जाने पर
23.	मौका अंगुल छाप एफपीबी भेजे गये	मौका अंगुल छाप एफपीबी भेजे जाने हेतु

24.	सम्पत्ति फोरेंसिक साइंस लैब भेजी गयी	सम्पत्ति फोरेंसिक साइंस लैब भेजे जाने पर
25.	FPB की रिपोर्ट प्राप्त	FPB की रिपोर्ट प्राप्त होने पर
26.	फोरेंसिक रिपोर्ट एकत्र की	फोरेंसिक रिपोर्ट एकत्र होने पर
27.	सरकार द्वारा वापस ले ली गयी	सरकार द्वारा मुकदमा वापस लिये जाने पर
28.	अदालत से स्थायी वारंट	अदालत से स्थायी वारण्ट प्राप्त होने पर
29.	अदालत से गिरफ्तारी वारंट	अदालत से गिरफ्तारी वारण्ट प्राप्त होने पर
30.	सक्षम अधिकारी/ अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करना	तलाशी वारंट प्राप्त होने पर
31.	अभियुक्त की कुर्की का आदेश	अभियुक्त की कुर्की का आदेश प्राप्त होने पर
32.	अदालत से गिरफ्तार / कुर्की/ उत्पादन /ट्रांजिट/ स्थायी वारंट आदि को प्राप्त करना	अदालत से गिरफ्तार / कुर्की/ उत्पादन/ ट्रांजिट/ स्थायी वारंट आदि प्राप्त होने पर
33.	अभियुक्त की पहचान परेड	अभियुक्त की पहचान परेड कराने हेतु
34.	अभियुक्त की स्केच/फोटो जारी की	अभियुक्त की स्केच/ फोटो जारी करते समय
35.	कुर्की/ उद्घोषणा वारंट को प्राप्त करना	कुर्की/ उद्घोषणा वारंट के प्राप्त होने पर
36.	गिर0 व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण	गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजने पर
37.	फरार अभि0 का घोषणा आदेश	फरार अभियुक्त का घोषणा आदेश प्राप्त होने पर
38.	ब्रेन मैपिंग/ नार्को विश्लेषण/ लाई डिटेक्टर	ब्रेन मैपिंग/ नार्को विश्लेषण/ लाई डिटेक्टर कराने पर
39.	मजिस्ट्रेट/ डाक्टर/ पुलिस/ पब्लिक द्वारा मरने से पहले का बयान दर्ज	मरने से पूर्व बयान दर्ज करने हेतु

नोटः– कमांक 1 से 19 की रोजाना अति महत्वपूर्ण कार्यवाहियों तथा कमांक 20 से 39 पर समय–समय पर प्रयुक्त होने वाली कार्यवाही अंकित की गयी है।

जनपदों द्वारा सही हेड का चयन करके नहीं भरा जाता है जिससे सही हेड में सूचना अपूर्ण प्रदर्शित होगी तथा सही हेड में सूचना शून्य प्रदर्शित हो रही है जबकि सूचना वास्तविक रूप से गलत हेड में अंकित की जा रही है। सही हेड व अंकित की जाने वाली सूचना हेतु विवरण उपरोक्तानुसार है।

(विमर्श द्विवेदी)
कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड-ए)
सीओ आफिस गाजीपुर, लखनऊ
मो0नं0 7007855054